>

Title: Conducting the Business of the House under rule 389 regarding laying starred Questions and Private Members Business.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सामान्य परिस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों के लिए तथा गैर-सरकारी कार्यों के लिए नियत दिवसों की सूचना माननीय सदस्यों को समन जारी करने के साथ दी जाती थी । सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोक सभा प्रतिदिन केवल चार घण्टे के लिए बैठेगी, मैंने प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों के नियम 389 के अंतर्गत अपने विवेक का उपयोग करते हुए इस सत्र के लिए समन जारी किए जाने के ये निर्देश दिए थे कि प्रश्नों के लिए और गैर-सरकारी कार्य के लिए कोई दिन नियत न किया जाए । बाद में ऐसे अतारांकित प्रश्नों के लिए दिन आवंटित किए हैं, जिसकी सूचना आपको बुलेटिन के माध्यम से मिल चुकी है । अत: मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अतारांकित प्रश्नों और गैर-सरकारी कार्य के बारे में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक बार उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करने दें ।

…(व्यवधान)

-

10.30 hrs

MOTION RE: *BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I beg to move:

> "Keeping in view that the current Session of Lok Sabha is being held in extraordinary circumstances prevailing due to COVID-19 pandemic requiring maintenance of social distancing and keeping the movement of Government officials and others within the Parliament precincts to the bare minimum, this House resolves that *Starred Questions and Private Members' Business may not be brought before the House for transaction during the Session, and all relevant Rules on these subjects in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha may stand suspended to that extent. "

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोक सभा का वर्तमान सत्र कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण असाधारण परिस्थितियों में संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने एवं संसद परिसर के भीतर सरकारी अधिकारियों एवं अन्य की आवाजाही को कम-से-कम रखे जाने की आवश्यकता है, यह सभा संकल्प करती है कि तारांकित प्रश्नों और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को सत्र के दौरान सभा के कार्य के लिए सभा के समक्ष न लाया जाये, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में इन विषयों संबंधी सुसंगत नियमों को एतद्द्वारा उस सीमा तक निलंबित किया जाये ।"

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ कर बोलें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हमने सदन से यह व्यवस्था दे दी है कि कोई भी माननीय सदस्य खड़े हो कर नहीं बोलेंगे ।

अधीर रंजन जी, आप बैठ कर बोलें ।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The argument and the rationale that have been dished out by the hon. Minister of Parliamentary Affairs with regard to the revocation of the Question Hour, I think, is far from convincing.

Question Hour is recognised as the essence of parliamentary democracy. Not only that, Question Hour could be interpreted as the soul of the House. It is not just now. The First Legislative Council set up under the Charter Act of 1853 was primarily meant for making laws and regulations. The Charter Act did not define the powers of the Legislative Council, but the Council showed some degree of independence by asking questions and discussing the propriety of the measures of the executive Government.

Question Hour means making executive answerable. Executive accountable होते हैं । बात क्या है कि जो आम लोगों की समस्या है, आम लोगों के सामने पेश करने के लिए यह हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है । So, it is a Golden Hour. Question Hour is simply the Golden Hour of the House. But on the excuse of 'extraordinary situation', you are saying that Question Hour will not be there.…(व्यवधान) सर, मुझे बोलने दीजिए । सर, यहां जो बात कही जा रही है, यह बात बिल्कुल अजीब-सी लग रही है, क्योंकि

हम सदन चलाते हैं । हमें सदन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही जगह दिक्कत होती है, वह प्रश्न काल है । क्वेश्चन ऑवर को क्यों सिंगल आउट किया जाता है? यह हमारा सवाल है, क्योंकि ब्रिटिश जमाने से सदन में प्रश्न काल चल रहा है और आप आजादी के 73 साल बाद प्रश्न काल को हटा कर लोक तंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं । हमारा यह सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा है ।…(व्यवधान) सर, मुझे बोलने दीजिए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, आपका प्रस्ताव है । आपकी भावनाएं**…** ।

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the Question Hour and the Private Members' Business are cornerstones of our democracy. They are very much essential for the existence of Parliamentary democracy. The Question Hour and the Private Members' Business are also part of theory of separation of powers. The hon. Minister has the dishonourable distinction. By moving such a Motion, he is weakening the theory of separation of powers, which is part of the basic structure of our Constitution.

I urge you, Mr. Speaker, not to allow the executive to encroach on the territory of the legislature. It is a shameful day if the Question Hour and the Private Members' Business are not taken up.

Lastly, on behalf of my Party I am asking for a Division. There should be a Division on this.

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी मैं आपको नियम बता दूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : No Division.

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, we are very cognizant of the extraordinary circumstances in which this Parliament Session has been convened. We also deeply appreciate the arrangements which have been made in order to make this Session possible.

However, Mr. Speaker, Sir, while recognising that under rule 32 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha, you have the authority to suspend the Question Hour, I would like to draw your attention to page 473 of Kaul and Shakdher and read just one paragraph which is extremely important.

माननीय अध्यक्ष : मैंने सारे नियम पढ़े हुए हैं । क्या आप नियम पर डिबेट करेंगे? आगे का प्रश्न संख्या और नियम वह भी पढ़ दीजिए । आप वकील हैं ।

SHRI MANISH TEWARI : Speaker Sir, I am just pointing out with great respect, that Kaul and Shakdher says in page 473: "In very exceptional cases, Question Hour may be dispensed with for making available more time to other business or to take up some other urgent business, only if the House unanimously agrees." …(*Interruptions*). Mr. Speaker, Sir, the qualification is that the House must unanimously agree because this is the only time when the Opposition holds the Government accountable …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री कल्याण बनर्जी जी ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, we appreciate that in the present prevailing situation, Parliament has been commenced and it will continue for 18 days. But Sir, we should remember, at the same time, that the Question Hour is also an integral part of the basic structure of the parliamentary procedure and we cannot destroy that part.

Sir, today, if the Government is having their pressure for passing the bills, we are also having our views to express …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : किसी पर किसी का दबाव नहीं है । सदन चलना चाहिए, सभी इस पर एकमत हैं ।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, this is the only time when we get the answers from the hon. Ministers. Therefore, kindly do not take away this advantage from us. Sir, really it will take away the entire glamour, 50 per cent glamour of the running of the Parliament. People also want to hear the answers from the Ministers. This is the glamour. They wait for that. They want to see this. That is being taken away.

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रहलाद जोशी जी, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I would very humbly submit that before arriving at this decision, our hon. Deputy Leader of Lok Sabha and also Raksha Mantri of the country, myself and my colleagues in the Parliament, Shri Muraleedharan and Shri Arjun Meghwal, have spoken to almost all leaders of the various parties.

I would also like to clarify that in this extraordinary situation, your kind self agreed to the proposal to run the Session for 18 sittings. I would like to ask very humbly to the various leaders who questioned the suspension of Question Hour.

Sir, all Assemblies including Punjab, West Bengal, Rajasthan, Andhra Pradesh, Kerala …(*Interruptions*) When you were speaking, we have listened. Kindly listen to me …(*Interruptions*). They have run the session for two days or one day and they have passed 20-25 Bills, whereas the Government of India, under the leadership of Modiji, decided to run the Session for 18 days and have discussion on all the bills…(*Interruptions*)

Secondly, Sir, the people are saying that this is basic structure of Parliament. In 1975, the entire country knows what had happened and the history is the witness for that.

Thirdly, Sir, I have already said that in 1962, Question Hour was suspended; …(*Interruptions*) in 1975, it was suspended; in 1976, it was suspended …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

SHRI PRALHAD JOSHI: In the last five years, after Shri Narendra Modi ji got resounding victory twice, nearly 60 per cent of the Question Hour time in Rajya Sabha and 40 per cent of the Question Hour time in Lok Sabha were wasted in spite of having resounding victory and mandate of the people. …(*Interruptions*)

Keeping this in view, I would urge with all humbleness at my command that this is an extraordinary situation. When Assemblies are not ready to meet even for a single day, we, with around 800 to 850

MPs, are meeting here under your guidance. I would appeal to them that there are so many ways to question the Government. The Government is not running away from discussion. …(*Interruptions*) We are ready for the discussion, and we are going to reply to all the questions that you are going to raise. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी, सभी दलों के नेताओं से आपकी चर्चा हुई थी, आप एक बार आग्रह कर दें ।

…(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया है, उन्होंने और उनके दो अन्य सहयोगियों- श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री मुरलीधरन जी ने अधिकांश दलों के ग्रुप लीडर्स के साथ बातचीत की है और बहुत-से लोगों से मैंने भी बातचीत की है कि इस बार हम लोगों को असाधारण परिस्थितियों में संसद की कार्यवाही करनी पड़ रही है । इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि सदन केवल चार घंटे के लिए ही चलेगा । इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि इसमें क्वेश्चन ऑवर न हो ।…(व्यवधान) बल्कि आधे घंटे का ज़ीरो ऑवर हो । यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, अपनी किसी आशंका का समाधान करना हो, तो वे उस आधे घंटे में कर सकते हैं । अधिकांश राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी थी और उससे आपको अवगत कराया गया था । तत्पश्चात् आपने यह फैसला किया था कि जो संसद की कार्यवाही चलेगी, उसमें क्वेश्चन ऑवर नहीं होगा । मैंने सभी सम्मानित सदस्यों से…(व्यवधान) मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: No. मैं आप सभी को बोलने का मौका देता हूँ । जब माननीय रक्षा मंत्री जी और सदन के उप नेता बोल रहे हों, तो कोई माननीय सदस्य डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे ।

…(व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह: मैं सभी सम्मानित सदस्यों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि असाधारण परिस्थितियों में यह संसद का सत्र प्रारम्भ हो रहा है, इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए । इसके साथ ही, मैं इस बात की जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ कि अनस्टार्ड क्वेश्चन के माध्यम से जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं । मंत्रिगण आपको उसकी जानकारी देंगे । यदि अनस्टार्ड क्वेश्चन की रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप चाहें तो ज़ीरो ऑवर के दौरान भी उसका क्लैरिफिकेशन संबंधित मंत्री से पूछ सकते हैं । इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि कृपया संसद की कार्यवाही चलाने में अपना पूरा सहयोग दें । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: श्री राजनाथ सिंह जी ने अनस्टार्ड क्वेश्चन के बारे में कहा । हर दिन 230 अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं । अगर आप चाहें, तो इसके साथ 25 क्वेश्चंस और जोड़ सकते हैं । इस तरह से, 230+25 अनस्टार्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ड क्वेश्चंस में आप 20 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं । यह आप कैसे समझाएंगे? किसी को इंफॉर्म करने का मतलब कंफर्म करना नहीं है । आपने जरूर इंफॉर्म किया है । लेकिन इंफॉर्म और कंफर्म एक ही चीज नहीं है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: No.

माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के विषय में…

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, we demand Division. …(*Interruptions*)

श्री राज नाथ सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि इस संबंध में श्री अधीर रंजन चौधरी जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने अपनी सहमति दी थी । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के विषय में मैंने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है । मैंने आपकी भावनाओं को भी समझ लिया है । परन्तु, वैश्विक संकट की इस घड़ी में मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप परिस्थितियों को समझते हुए सदन के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करेंगे ।

मैं पुन: दोहराता हूँ । मैंने आपकी भावनाओं को समझते हुए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लोक सभा के नियम एवं प्रक्रिया के व्यक्त नियमों तथा अन्य साधनों में, मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा ।

सरकार ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि आपको अन्य साधनों के माध्यम से पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

माननीय सदस्य श्री ओवैसी जी, आपने माननीय संसदीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर संशोधन की सूचना दी है । माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न तथा गैर सरकारी कार्य न किया जाए । आपके संशोधन का उद्देश्य है कि तारांकित प्रश्नों तथा गैर सरकारी कार्य को लिया जाए । माननीय सदस्य आप द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रक्रिया नियमों के नियम - 344 (2) के अंतर्गत मान्य नहीं है । अत: आपका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है ।

माननीय मनीष तिवारी जी, आपने भी इस मामले में नोटिस दिया है । आपने जिन-जिन नियमों का हवाला दिया है, उन सारे नियमों के तहत मैं मानता हूं कि आपके नियम इस संसदीय कार्य संचालन के तहत नहीं हैं और मैं चाहूंगा कि आप विद्वान अधिवक्ता हैं, पूरी नियम-प्रक्रिया को पढ़ लें । अंतिम नियम-प्रक्रिया तो माननीय अध्यक्ष ही हैं । आपने नियम 398 तो पढ़ रखा होगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोक सभा का वर्तमान सत्र कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण असाधारण परिस्थितियों में

संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने एवं संसद परिसर के भीतर सरकारी अधिकारियों एवं अन्य की आवाजाही को कम-से-कम रखे जाने की आवश्यकता है, यह सभा संकल्प करती है कि तारांकित प्रश्नों और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को सत्र के दौरान सभा के कार्य के लिए सभा के समक्ष न लाया जाये, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में इन विषयों संबंधी सुसंगत नियमों को एतद्द्वारा उस सीमा तक निलंबित किया जाये।।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।